न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 105/2022

अनवान : –

1. सुनील कुमार पुत्र भागीरथ जाति मेघवाल निवासी भोगराना तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री हंसराज बैनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी
राजपेरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 10/2/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 41/34 के खसरा न0 115, 128, 151, 54, 55, 80, 81 की कुल 18.1600है0 भूमि में 1/60 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम सुशील पुत्र भागीरथ है जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सुनील कुमार भागीरथ है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, 10 वी की अंकतालिका, व मुलनिवास आदि में दर्ज है। इस प्रकार आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का सुशील पुत्र भागीरथ की जगह सुनील कुमार पुत्र भागीरथ तस्लीम कर लेवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा बिल आखिरकार बमुकाम तहसील परिसर नोहर में कतई इन्कार हो गया। लिहाजा यही बिनाया प्रार्थना पत्र है तथा प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम सुनील कुंमार दुरूस्त करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम सुनील कुमार पुत्र भागीरथ है जबकि राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण दर्ज के दौरान प्रार्थी का नाम सुशील पुत्र भागीरथ दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुताबिक प्रार्थी के

दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 41/34 के खसरा न0 115, 128, 151, 54, 55, 80, 81 की कुल18.1600है0 भूमि में 1/60 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थी अपना नाम सुशीप पुत्र भागीरथ के स्थान पर सुनील कुमार पुत्र भागीरथ दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड पैनकार्ड, प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत परलीका आदि में सही नाम सुनील कुमार पुत्र भागीरथ अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक मेघाना , पटवारी हल्का भोगराना द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार कर रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के खाता स0 41/34 के खसरा न0 115, 128, 151, 54, 55, 80, 81 की कुल18.1600है0 भूमि में 1/60 हिस्सा भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में **प्रार्थी सुशील पुत्र भागीरथ के स्थान पर सही नाम सुनील कुमार पुत्र भागीरथ किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे । यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जॉच सुशील के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सुशील के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम सुशील पुत्र भागीरथ ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 1-12-23........ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.18 15:33:12 IST
Reason: SelfAttested